



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मोप्र० ग्वालियर

मिंग - २९०७- I-16

प्र०क० R ।/16

1- रामवीर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह

2- रामेश्वर सिंह पुत्र भोगीराम

जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम मानपुर
खडियाहार तह० अम्बाह जिला मुरैना मोप्र०

आवेदक

बनाम

गिरजा देवी पत्नी मुन्ना सिंह जाति गुर्जर
ठाकुर निवासी भैंसोरा तह० व जिला मुरैना

अनावेदक

निगरानी आदेश विरुद्ध आदेश दिनांक 11/08/2016

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय अम्बाह

के प्र०क० 19/15-16×अ/6 निगरानी अन्तर्गत

धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है -

- 1- यह कि ग्राम खडियाहार तह० अम्बाह जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क० 2994, 3288, 3293 की बर्फीबाई बेबा रघुनाथ सिंह स्वामी व आधिपत्य धारी थी।
- 2- यह कि बर्फीबाई जो आवेदक की चाची को अनावेदक के पति मुन्नासिंह ने बहला फुसला कर बगैर किसी प्रतिफल के धोखे से अपनी पत्नी गिरजा देवी के नाम विवादित भूमि का विक्रय पत्र सम्पादित करा लिया है।
- 3- यह कि अनावेदिका द्वारा अबैध व फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर तह० अम्बाह में नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर आवेदक द्वारा आपत्ति करने पर प्रकरण तहरील न्यायालय में प्र०क० 19/15-16×अ/6 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 11/08/2016 द्वारा आवेदक की आपत्ति को गलत व मनमाने आधार पर बगैर किसी कारण का उल्लेख किये निरस्त कर प्रकरण आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत कर दिया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी उक्त आधारों के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

श्रीमान

R. 2907-5/16 3⁴/4

पेशी ०७-१०-१६

7.10.16

14